

Order Sheet [Contd]

Case No. of 20

| Date of Order or Proceeding | Order or proceeding with Signature of Presiding Officer | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
|-----------------------------|--|---|
| | <p>22-04-2018 खण्डपीठ को 23</p> <p>प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष पेश।</p> <p>राज्य द्वारा एडीपीओ उप० आरोपीगण सहित अधिवक्ता श्री धीरसिंह तोमर उप०।</p> <p>फरियादी हवलदार सिंह एवं आहत सरोज तथा राजो उप०। फरियादी एवं आहत की पहचान अधिवक्ता श्री के०पी० राठौर द्वारा की गई।</p> <p>आज दिनांक को उभयपक्षों द्वारा लोक अदालत में राजीनामा करने हेतु द०प्र०सं० की धारा 320(2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गई। नाबालिग आहत राजों की ओर से उसके पिता फरियादी हवलदार द्वारा द०प्र०सं० की धारा 320(4) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर राजो की ओर से राजीनामा करने की अनुमति चाही गई।</p> <p>सर्वप्रथम द०प्र०सं० की धारा 320(4) के अंतर्गत आवेदन पर विचार किया गया। यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आहत राजाबाई अवयस्क है एवं फरियादी हवलदार सिंह आहत राजो बाई का पिता होकर राजो बाई का प्राकृतिक संरक्षक है, अतः उक्त आवेदन स्वीकार किया गया एवं राजो बाई की ओर से फरियादी हवलदारसिंह को राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की गई।</p> <p>तत्पश्चात् राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि आरोपीगण के विरुद्ध भादस की धारा 294, 323 एवं 506 भाग-2, 34 के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त धारायें न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य हैं फरियादी हवलदार सिंह एवं आहत सरोज तथा राजाबाई न</p> | <p>हवलदार सिंह</p> <p>सरोज</p> <p>राजो</p> <p>केशव सिंह</p> <p>मोराबाई</p> <p>निःअनुजीव</p> <p>Sd/- [Signature] mp</p> <p>चौधरी</p> |


आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यवत्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः राजीनामा आवेदन स्वीकार किया गया एवं उभयपक्षों को प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की गई। राजीनामा के आधार पर आरोपी केशव, मुन्नीबाई एवं मीरा को भा०द०सं० की धारा 294, 323 एवं 506 भाग-2, 34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में पूर्व नियत तिथि 08.05.2018 निरस्त की जाती है।


आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है अतः उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

खण्डपीठ सदस्य क.1- 

क.2-


(प्रतिष्ठा अवस्थी)
पीठासीन अधिकारी
खण्डपीठ क० 23 गोहद